

21/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थीगण उप०।  
चुल्हे दावा वादीगण खारिज हो चुका है।  
पार्थना- वर पार्थीगण सारहीन होने के कारण  
खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी T.I.  
खारिज की जाती है। पत्रावली दारिखल दफतर  
है।

उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (मरतपुर)